न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी अरविन्द कुमार जाखड़ आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 01 / 2021 / बाड़मेर

अपीलांट

1. मांगीलाल पुत्र भवानीदास
2. घेवरदास पुत्र भवानीदास
3. भीमदास पुत्र भवानीदास
4. सायरकी बेवा पत्नी भवानीदास

सभी जाति संत सभी निवासी सरवडी चारणान हाल मकान नंबर 2व 21 वृदावन पार्क पुराना हाउसिंग बोड पाली

रेस्पोडेंटगण

बनाम 1.छोगाराम पुत्र सवाराम जाति चौधरी निवासी सरवडी तहसील सिवाना
2.भवरी देवी पुत्री भवानी प्रसाद पत्नी भरतजी संत निवासी गुडानाल
3.गेरकी पुत्री वस्तीराम जाति संत पत्नी कन्हैयालालजी निवासी इन्द्राणा तहसील सिवाना
4.पंकजदास पुत्र रतनदास
5.मुकेश पुत्र रतनदास
6.दिनेश पुत्र रतनदास
7.समदा पत्नी रतनदास सभी जाति संत सभी निवासी सरवडी चारणान हाल गांव मूठली तहसील सिवाना
8.कमला पत्नी वस्तीराम जाति संत निवासी सरवडी चारणान
9.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिवाना

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व उपखण्ड अधिकारी सिवाना द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 15/2017 बअनवान छोगाराम बनाम भवानीप्रसाद वगै. में पारित आदेश दिनांक 25.09.2020।

उपस्थित

1. वकील श्री कपिल श्रीमाली अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री कैलाश पुरी रेस्पोडेण्ट संख्या 01 की ओर से।
3. वकील श्री ओमसिंह राजपुराहित रेस्पोडेंट संख्या 04, 06 व 07 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः– 06.04.2022

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 01 छोगाराम द्वारा अधीनस्थ अदालत के समक्ष अंतर्गत धारा 251ए रा.का.अधि. के तहत प्रार्थना–पत्र पेश कर खातेदारी का खेत खसरा नं. 1339 रकबा 21.10 बीघा सरहद मौजा सरवडी में आवागमन हेतु रास्ता उपलब्ध नहीं होने से सरवडी से भवरानी जाने वाले रास्ते से होकर अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 02 से 08 के खातेदारी खेत खसरा नं.

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

1421 की पूर्वी माठ के किनारे–किनारे कटाण मार्ग तक रास्ता दिलाया जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अपीलांटगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर जबाव पेश किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गौर किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की जा रही है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उपस्थित तीनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस मौका फर्द के अनुसार अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। उपरोक्त मौका रिपोर्ट में कही पर भी वैकल्पिक रास्ता होना अंकित नहीं किया है। जबकि रेस्पोडेंट के पास वैकल्पिक रास्ता खसरा संख्या 1422 व 1420 में उपलब्ध होने के बावजूद भी अपीलांटगण को परेशान करने के लिए हस्तगत आवेदन पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन जिस मौका रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए पारित किया उक्त मौका रिपोर्ट अपीलांट की अनुपस्थिति में एकपक्षीय रूप से तैयार की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना तथा निकटतम रास्ते के विकल्प का अभाव सिद्ध किये बिना अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया। अतः अपीलांट की अपील को स्वीकार फरमाया जावे।

रेस्पोडेंट के अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई उसके आधार पर रेस्पोडेण्ट/प्रार्थी के खातेदारी भूमि में आने–जाने के लिए जो रास्ता प्रस्तावित किया गया उसके अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। रेस्पोडेंट को उक्त रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। रास्ता रेस्पोडेंट/प्रार्थी की मूलभूत आवश्यकता है जिसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जावे।

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 19.09.2019 को पत्रावली फैशल शुमार होने का आदेश जारी किये जाने के उपरांत उपरोक्त पत्रावली दिनांक 19.09.2019 को

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

निस्तारित हो चुकी थी जिससे उपरोक्त प्रकरण में आदेश पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं होने की सुरत में उपरोक्त प्रकरण की पत्रावली पुनः सुनवाई लिये जाने के आवेदन पेश होने के उपरांत ही पुनः सुनवाई कर दोनों पक्षों की उपस्थिति में आदेश पारित किया जाना था मगर अपीलार्थीगण को अनुपस्थिति में उनके पीछे बिना आवेदन पेश हुए एक तरफा आदेश पारित किया जिसकी नकल दिनांक 01.01.2021 को प्राप्त होने से अपीलाधीन आदेश की सर्वप्रथम जानकारी हुई तथा वास्तविक ज्ञान की तारिख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक नहीं। अपील पेश करने में हुई देरी के एक–एक दिन का हिसाब अपीलांटगण द्वारा नहीं दिया गया है। अतः लिमिटेशन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। कोविड–19 महामारी को ध्यान में रखते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार किये जाने के आदेश दिये जाते है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के पश्चात पारित किया गया है जिससे अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया प्रतीत होता है। मौका फर्द दिनांक 20.06.2019 में संलग्न नक्शे से स्पष्ट होता है कि प्रदत्त अपीलाधीन रास्ते के अतिरिक्त प्रार्थी के खेत से कटाण मार्ग तक पहुंचने का अन्य कोई नजदीक विकल्प नहीं है। अपीलांट द्वारा ऐतराज पर ऐतराज पेश किया जा रहा है जिससे अपीलांट की रास्ता नहीं देने की नीयत साफ झलकती है। वह प्रस्तावित रास्ते में अवरोध पैदा करने की कार्यवाही में लिप्त है। अपीलांट की गैर कानूनी मांग स्वीकार्य नहीं हैं। रेस्पोडेंट/प्रार्थी को रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता और अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नहीं होने से न्यूनतम दूरी वाला रास्ता दिया गया है जो नितांत विधि सम्मत एवं युक्तिसंगत है। अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए बाद विस्तृत विवेचन दिया है जिसमें

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

किसी प्रकार की कोई त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती। अपीलांट की केवल हठधर्मिता के मद्देनजर रेस्पोडेंट/प्रार्थी को उसको मिले रास्ते के विधिक अधिकार से वंचित रखना कतई न्यायोचित नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील खारिज योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 15/2017 बअनवान छोगाराम बनाम भवानीप्रसाद वगै. में पारित आदेश दिनांक 25.09.2020 को यथावत रखा जाता है।

(अरविन्द कुमार जाखड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 06.04.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर